

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उ०प्र०।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2021

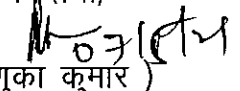
विषय-कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाक डाउन की अवधि में एल०पी०जी० सेवाओं को
ई-पास से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-326/एक-11-2021, दिनांक 03.05.2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई-पास जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-792/2021-सीएक्स-3, दिनांक 04 मई, 2021 द्वारा मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, को ई-पास से छूट प्रदान की गयी है। एल०पी०जी० आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ही है। अतएव अलग से निर्देश निर्गत कराने की आवश्यकता नहीं है।

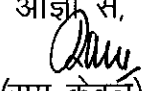
3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल०पी०जी० को गृह विभाग के उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के अन्तर्गत ई-पास से छूट प्राप्त है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-335(1)/एक-11-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र०।
- 7- श्री सुजीत सिंह, राज्य संयोजक, ऑल इण्डिया एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, यू०पी० सर्किल।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।